न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :– 224/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
01. पोकरराम पुत्र लक्ष्मणराम 02. रतनलाल पुत्र नैनाराम जातिगण सीरवी निवासीगण हीरावास तह0 सोजत जिला पाली राज0	01.	तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

01. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक : 13/10/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गुड़ा कलां पटवार हल्का गुड़ा कलां भू.नि.क्षे. गुड़ा कलां तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 252/1 रकबा 0.1200 है0 की ऑनलाईन तरमीम करते समय वास्तविक भू–भाग को ध्यान में नहीं रखते हुए पैन ऑफ मिसटेक से प्रा0पत्र के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार वास्तविक स्थिति से अलग ऑनलाईन नक्शे में गलत खड़ी तरमीम कर दी गई है, जबकि मौके पर सही व वास्तविक स्थिति प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार खसरा संख्या 252/1 की हुबहु वैसे ही है, जैसा कि प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है एवं प्रार्थना पत्र के साथ जो ऑनलाईन सेटलाईट का नक्शा पेश किया गया है उस अनुसार हैं ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि मौके की स्थिति के अनुरूप वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 252/1 की तरमीम करवाये एवं राजस्व रेकर्ड नक्शे में लिपिकिय त्रुटिवश जो खसरा नम्बर 252/1 की खड़ी तरमीम कर दी गई हैं उसे पुनः दुरस्त करवाते हुए वास्तविक स्थिति के अनुसार तरमीम करवाये। इस अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 252/1 की ऑनलाईन नक्शे में तरमीम को दुरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार वास्तविक स्थिति के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शे में संशोधन करने के आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0 पत्र पेश नहीं करने अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया जाता हैं।

प्रकरण में वादस्थ भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

मौके पर खसरा नम्बर 252/1 के चारदीवारी की हुई है, चारदीवारी से घिरे हुए भू–भाग का रकबा 0.1200 हैक्टर बनता है, मौके पर स्थित चारदीवारी एवं राजस्व नक्शा में भिन्नता है। मौके का नजरी नक्शा सलग्न मौकाफर्द अनुसार है। वर्तमान राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 251/1 में

नम्बर 252 का कुछ हिस्सा सहवन से जोड़ दिया गया है। प्रस्तावित शुद्धि खसरा नम्बर 252/1 रकबा 0.1200 हैo भूमि को नजरी नक्शे में "मौके की स्थिति अनुसार (बी)" से दर्शाया गया है। जिसमें ख0न0 252/1, 252/5, 1306/252, 1305/252 का मौका अनुसार माप अंकित है, की रिपोर्ट पेश की हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 252/1 की ऑनलाईन नक्शे में तरमीम को दुरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार वास्तविक स्थिति के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शे में संशोधन करने के आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट के आधार पर वादस्थ भूमि के ऑनलाईन तरमीम के समय राजस्व नक्शे में ख0नं0 251/1 में खसरा नम्बर 252 का कुछ हिस्सा सहवन से जोड़ दिया गया है। प्रस्तावित शुद्धि खसरा नम्बर 252/1 रकबा 0.1200 हैo भूमि को नजरी नक्शे में "मौके की स्थिति अनुसार (बी)" से दर्शाया गया है। जिसमें ख0न0 252/1, 252/5, 1306/252, 1305/252 का मौका अनुसार माप अंकित है, उक्तानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–ः आदेशः–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गुड़ा कलां तह0 सोजत में स्थित खसरा नम्बर 252/1 की तरमीम पटवारी हल्का द्वारा मौका फर्द में मौके की स्थिति अनुसार (बी) में दर्शाये अनुसार तरमीम दुरूस्त कर शुद्धि किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 31/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत